

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक— एफ 2 (ग) (एसीपी) / 1990-II / अलेसे । / ६९८४-८५

दिनांक— 14. 03. 2012

कार्यालय आदेश संख्या 275 / 2011-12

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प 11 (7) एफडी/लत्स/2008 / दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.09 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.08 के अनुसारण में श्री कैलाश चन्द्र सैन, सहायक लेखाधिकारी जिनकी जन्मतिथि 10.08.1988 है तथा जिन्होंने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 28.02.1994 को कार्यप्रग्रहण किया था। इन्होंने 18 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है को दिनांक 28.02.2012 से लेखाकार के पद का द्वितीय एसीपी पीबी-2, 9300-34800 पे-बैण्ड एवं रूपये 4800 ग्रेड पे में स्थीकृत किया जाता है।

श्री कैलाश चन्द्र सैन, सहायक लेखाधिकारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 14 (88) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.08 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर एसीपी स्थीकृत किया जाता है।

श्री कैलाश चन्द्र सैन, सहायक लेखाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.08 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्वाचित किया जावेगा। इस स्थीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविधि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की सेवापुरुषितका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि कार्यालयक लेखाधिकारी एसीपी स्थीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/- प्राप्त कर रहे हैं तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि एसीपी स्थीकृत तिथि को दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् 2 से अधिक संतान नहीं है।

२
निदेशक

क्रमांक— एफ 2 (ग) (एसीपी) / 1990-II / अलेसे । / ६९८४-८५

दिनांक— 14. 03. 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष — प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी नियम लिमिटेड, जयपुर।
2. श्री कैलाश चन्द्र सैन, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय— राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी नियम लिमिटेड, जयपुर।
3. निजी सहायक निदेशक महोबय।
4. निजी पत्राखली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (बिबसाईट हेतु)

Shubh
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)